सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 06.10.2024

- **सोशल मीडिया पर युवती का अश्लील फोटो वायरल करना पडा भारी।**
- **एसएसपी इटावा द्वारा घटना का लिया गया था स्वतः संज्ञान।**
- **इन्स्टाग्राम पर फर्जी एकाउण्ट बनाकर अश्लील फोटो वायरल करने वाले अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**
- **अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के नेतृत्व में थाना भरथना पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।**

घटना/ गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 24.06.2024 को थाना भरथना क्षेत्रान्तर्गत निवासी वादी ने पुलिस कार्यालय पर उपस्थित होकर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष उसकी बहन उम्र करीब 20 वर्ष के नाम से किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी इन्स्टाग्राम एकाउण्ट बनाकर उसके चेहरे का फोटो लेकर अश्लील फोटो पर लगाकर वायरल करने के सम्बन्ध में लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिया जिसका तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा संज्ञान लेकर उक्त प्रार्थना पत्र की जाँच प्रभारी साइबर सेल इटावा द्वारा करायी गयी जाँचोपरान्त **थाना भरथना पर मु0अ0सं0 205/24 धारा 420 भादवि व 67A IT ACT पंजीकृत किया गया।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा मुकदमा उपरोक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना भरथना पुलिस को निर्देश दिये गये। थाना भरथना पुलिस टीम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल साक्ष्य एकत्रित किये गये तथा प्रभावी कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 06.10.2024 को थाना भरथना पुलिस द्वारा **मु0अ0सं0 205/2024 से सम्बन्धित अभियुक्त विवेक शाक्य पुत्र रविन्द्र कुमार शाक्य को समय करीब 11.30 बजे** गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विवेक शाक्य पुत्र रविन्द्र कुमार शाक्य निवासी टाकीज वाली गली थाना बेवर जिला मैनपुरी **उम्र 21वर्ष।**

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 205/24 धारा 420 भादवि व 67A IT ACT थाना भरथना जनपद इटावा।

पुलिस टीम- निरी0 श्री देवेन्द्र सिंह प्रभारी थाना भरथना, निरी0 नरेन्द्र कुमार, उ0नि0 बृजनन्दन सिंह, म0का0 लक्ष्मी वर्मा, हे0का0 गजेन्द्र सिंह।